न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट शिविर मगरतलाब)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश मेवाडा उपखण्ड अधिकारी देसूरी

ACMS 2018/00034

अनुवान
केसाराम पुत्र खेताराम सिरवी निवासी–टोकरला
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भुमिधारी)

प्रार्थना पत्र बाबत –राज.भू.राजस्व. अधिनियम 1956 पत्थरगढी(धारा 111,128)
मुकदमा नम्बर :–राजस्व विविध :–13 /2018

निर्णय

दिनांक :– **01/05/2018**

प्रार्थी केसाराम पुत्र खेताराम सिरवी निवासी–टोकरला ने आज राजस्व लोक अदालत शिविर मगरतलाब में उपस्थित होकर निवेदन किया कि मौजा ग्राम गुडा जैतावता के खसरा नम्बर 514/379 रकबा 0.2333 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भुमि है। उक्त भुमि का पूर्व में सीमांकन करवाया गया था लेकिन प्रार्थी उक्त सीमांकन से संतुष्ट नही होने पर पुनः स्वयं की खातेदारी में पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया।

पटवारी मगरतलाब की रिर्पोट एवं तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा के आधार पर मौजा ग्राम गुडा जैतावता के खसरा नम्बर 514/379 रकबा 0.2333 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी भुमि की पेमाइस कर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी पर होने वाला व्यय प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जाएगा । तहसीलदार देसूरी आज ही पालना रिर्पोट पेश करे।

यह आदेश आज तारीख 01.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, देसुरी
दिनांक–01.05.2018

क्रमांक/शिविर/2018/378-379.
प्रतिलिपि :–
1.तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. पटवारी मगरतलाब आदेशानुसार पालना करें।

पीठासीन अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
न्याय आपके द्वार 2018
देसूरी

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

1/5/18